

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक प.5(5) प्राशि / स्था. कैम्प / 2018

जयपुर, दिनांक : .06.2018

—:: आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(5) प्राशि / स्था. कैम्प / 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018 द्वारा जिले के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अन्तः जिला एवं अन्तर जिला स्थानान्तरण किये गये थे। उक्त आदेशों में कुछ प्रकरणों में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कार्मिक को प्रासंगिक आदेश में अंकित शर्तानुसार राहत प्रदान करने, दोहरा पदस्थापन होने, पद रिक्त नहीं होने, सहवन से लेवल अथवा विषय गलत अंकित हो जाने/परिवीक्षाकाल पूर्ण हुए बिना स्थानान्तरण हो जाने / पात्रता न होने पर भी स्थानान्तरण हो जाने आदि की स्थितियों के कारण पालना नहीं की जा सकी है। उक्त स्थानान्तरण के संबंध में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के माध्यम से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों के क्रम में **जोधपुर** जिले में निम्नानुसार स्थानान्तरण संशोधन तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :—

क्र. सं	स्था. आदेश में क्र.सं	नाम एवं पद (लेवल विषय सहित)	कहां से	कहां को	संशोधन का विवरण	राज्य सरकार के आदेश पत्रावली संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	338	ओमप्रकाश चारण अध्यापक लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान	राउप्रावि कंवरजी की खेजडी तापू ओसिया	राउप्रावि विश्नोईयों की ढाणी कैलावा कलां बावडी जोधपुर 08151005001	पद रिक्त नहीं होने के कारण राउप्रावि चिचडली ढाणी लूणी (08150809901)	प.5(5) प्राशि / स्था. कैम्प / 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
2	740	सहीराम लेगा पबोधक लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान	राउप्रावि राईकोरिया की ढाणी मोटाई बाप/फलोदी	राउप्रावि राईकोरिया जैतियावास बावडी जोधपुर 08151002202	पद रिक्त नहीं होने के कारण राउप्रावि गुजरो की ढाणी मानसागर बावडी (08151002503)	प.5(5) प्राशि / स्था. कैम्प / 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
3	364	धनसिंह राजपुरोहित अध्यापक लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान	राउप्रावि प्रेमजी मुडियाल की ढाणी लूणी जोधपुर	राउप्रावि इनी नाडी खुडियाला बालेसर 08150400302	नेत्रहीन होने के कारण आदेश निरस्त	प.5(5) प्राशि / स्था. कैम्प / 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
4		उषा देवी प्रबोधक लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान	राउप्रावि प्रेमजी मुडियाल की ढाणी लूणी जोधपुर 08150815401		नेत्रहीन शिक्षक का स्थाना निरस्त के कारण राउप्रावि रोहिचा कलां लूणी (08150813102)	प.5(5) प्राशि / स्था. कैम्प / 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
5	462	पूजा अध्यापक लेवल द्वितीय हिन्दी	राउप्रावि साझी रोहट पाली	राउप्रावि विनायकिया जोधपुर शहर जोधपुर 08151504216	विषय हिन्दी के स्थान पर सामाजिक विज्ञान होने एवं विषय का पद रिक्त नहीं होने के कारण राउप्रावि खेमे का कुआ जोधपुर शहर (08151500507)	प.5(5) प्राशि / स्था. कैम्प / 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
6	618	शीला कवारिया अध्यापक लेवल प्रथम	राउप्रावि बेरा जाटो का नवोडा उदलियावास	राउप्रावि भाकरराम कोजाराम की ढाणी लाम्बा बिलाडा 08150904203	पद रिक्त नहीं होने के कारण राउप्रावि कूम्पडावास बिलाडा (08150900601)	प.5(5) प्राशि / स्था. कैम्प / 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018

()

उमेश

7	736	श्यामसिंह अध्यापक लेवल द्वितीय हिन्दी	राउप्रावि लाणोरा जिला पाली	राउप्रावि माताजी की घुमटी बासनी हरिसिंह भोपालगढ़ जोधपुर 08150604802	स्थानान्तरित विद्यालय में नामांकन शून्य होने के कारण राउप्रावि आसारानाडा सालवा कलां मण्डोर (08150701602)	प.5(5) प्राशि/स्था.कैम्प/ 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
8	352	फैलाशदान अध्यापक लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान	राबाप्रावि आगोलाई बालेसर जोधपुर	राउप्रावि.सेक्टर 14 चौ.हा.बो. जोधपुर 08151500615	पद रिक्त नहीं होने के कारण राउप्रावि चौपासनी गांव जोधपुर शहर (08151500310)	प.5(5) प्राशि/स्था.कैम्प/ 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
9	660	शकुन्तला जैन अध्यापक लेवल प्रथम	राउप्रावि जाटियावास पीपाडशहर जोधपुर	राउप्रावि कालजो की ढाणी सिंधीपुरा पीपाडशहर जोधपुर 08151409503	कार्मिक का पद लेवल प्रथम होने एवं स्थानान्तरित विद्यालय का पद सामाजिक विज्ञान होने के कारण राउप्रावि मालियो की ढाणी बुचकला कलां पीपाडशहर (08151404502)	प.5(5) प्राशि/स्था.कैम्प/ 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
10	678	धर्मेन्द्र सिंह अध्यापक लेवल प्रथम	रा.उ.प्रा.वि. बासनी निकुब, जालेली फौजदार, मण्डोर जोधपुर	राउप्रावि बगड़की रिया सेठों की पीपाड शहर जोधपुर 08151409201	दोहरे पदस्थापन के कारण आदेश निरस्त	प.5(5) प्राशि/स्था.कैम्प/ 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
11	637	भंवरलाल अध्यापक लेवल प्रथम	राउप्रावि सिपली नाडी कानासर बाप जोधपुर	राउप्रावि विशननगर जैसलाबाप जोधपुर 08150105509	दोहरे पदस्थापन के कारण आदेश निरस्त	प.5(5) प्राशि/स्था.कैम्प/ 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018
12	24	कामिनी देथा अध्यापक लेवल प्रथम	राउप्रावि कानजी का थूणा बड़ला बासनी तिवरी	शहीद श्री लालसिंह खीरी राउप्रावि करवड मण्डोर जोधपुर 08150709502	परिवीक्षा मे होने के कारण आदेश निरस्त	प.5(5) प्राशि/स्था.कैम्प/ 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

- 1 संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- 2 संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपरिस्थित हो/निलम्बित हो/ न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनकों कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- 3 प्रबोधक तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6 डी के तहत चयन नहीं किया गया है, उनको शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 5 शून्य नामांकन वाले विद्यालय में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 6 कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण प्रक्रिया से कोई विद्यालय (शून्य नामांकन वाले को छोड़कर) शिक्षक विहीन न हो जावे।


(2)

लिखक

- 7 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधी सहमति का शपथ पत्र लिया जावें अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। यदि कार्मिक शपथ पत्र देने से इंकार करे तो कार्मिक से इस बाबत लिखित में लिया जावे।
- 8 गैर प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31-12-2012 के पश्चात की हो तो, उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
- 9 प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31-12-2008 के पश्चात की हो तो उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
- 10 टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
- 11 लेवल प्रथम के अध्यापक को लेवल द्वितीय के पद हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
- 12 लेवल द्वितीय गणित-विज्ञान एवं अग्रेजी के शिक्षक को उसके समान पद एवं विषय के लिये ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।
- 13 लेवल-2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लेवल प्रथम के पद पर लेवल-2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी के कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।
- 14 संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण गैर प्रतिबन्धित से प्रतिबन्धित जिले में हो रहा हो, तो उनका केवल परिवीक्षाकाल पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाकर, उनकों कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।
- 15 प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाला कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगों से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हे कार्यमुक्त न किया जावें एवं उनके विरुद्ध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाकर उन्हे पुनः मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावें।
- 16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/पीईईओ स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त करे एवं कार्मिक दिनांक 30/06/18 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा दोषी अधिकारी /कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 01 जुलाई 2018 को अपने जिले के ऐसे प्रकरणों की सूचना मय सूची निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 17 पीईईओ द्वारा आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संबंधित बीईईओ इसकी सूचना जिशिअ प्राशि को देंगे तथा जिशिअ अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव बना कर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।

- 18 स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।
- 19 स्थानान्तरण प्रक्रिया में इस विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21.04.16, 24.06.16 एवं 06.07.16 से जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे ।
- 20 क्रम संख्यापर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा ।

यह शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


 (संजय कुमार)
 शासन उप सचिव
 प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री (प्रारम्भिक शिक्षा—स्वतन्त्र प्रभार) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान ।
- 2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग ।
- 4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- 5 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें ।
- 7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सम्बन्धिम पीईईओ के माध्यम से कराने का श्रम करावें ।
- 8 शालादर्शन प्रकोष्ठ जयपुर को पोर्टल पर मॉड्यूल द्वारा मैपिंग किये जाने हेतु प्रेषित है (पत्र क्रमांक : प.5(5)प्रा.शिक्षा/2018 जयपुर, दिनांक 22.06.18 के विन्दु सं. 6 के क्रम में)
- 9 उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त ।
- 10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को पालना हेतु ।
- 11 संबंधित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को पालना हेतु ।
- 12 रक्षित पत्रावली ।


 (जगदीश नारायण जाट)
 अनुभाग अधिकारी

(५)